> उचित कदम उठाये जाने चाहिये जिनके अंतर्गत उनके द्वारा एक तरफा निर्णय लिया गया था, इससे अभिदाताओं को परिहार्य असुविधा हुई। लाइसेंसधारक की प्रतिक्रिया अन्य आवश्यक डेटा सहित प्राप्त होने पर, सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए, कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, दूरसंचार विभाग (अर्थात, लाइसेंस प्रदाता) में उचित प्राधिकारी द्वारा यू ए एस एल के अंतर्गत की जानी चाहिए।'' उसके बाद मंत्रालय ने मामला उपरोक्त समिति को भेज दिया था।

जैसा कि मंत्रालय ने अपने उत्तर में सूचित किया था कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल ने बंद मोबाइल सेवाओं को जारी करने पर भी विचार किया था तथा अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ''यू सौफ करार की वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता की अवधि समाप्त होने के बाद भी यू सौफ योजना के अंतर्गत यू एस पी द्वारा दी गई मोबाइल सेवायें जारी रखनी है।'' समिति ने यह भी बताया था कि यू सौफ करार के निबंधनों से यह स्पष्ट है कि यू एस पी द्वारा सम्बद्व टेलीकॉम सर्विस लाईसेंस (यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस) के तहत मोबाइल सेवाओं का रखरखाव किया जाना है।''

इसीलिए यह स्पष्ट है कि मैसर्स आरसीएल व मैसर्स आरटीएल द्वारा मोबाइल सेवायें बंद मान लेने का निर्णय सभी सम्बद्व घटकों पर विचार करने के बाद मात्र सेवाओं में व्यवधान प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त यू सौफ करार (भाग ख-II) की "प्रचालन शर्तों" खण्ड 1.1 सैक्शन VI में व्यवस्था है कि यू ए एस एल करार के निबन्धनों एवं शर्तों का प्रावधान लागू रहेगा व मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल के साथ यू सौफ के तहत करार पर यथोचित परिवर्तन के साथ बाध्य होगा। अतः मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा मनमाने[16] तरीके से विकीरित बी टी एस को बंद किये जाने का कृत्य खण्ड 10.2 (II) [17] में यू ए एस एल करार के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के बजाय मंत्रालय द्वारा यू सौफ करार[18] के खंड 2.3 व 2.4 में सेवाओं में मात्र व्यवधान मानना अनुचित था।

---

[16] सेवाओं की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की व लाइसेंस प्रदाता/अभिदाताओं को कोई सूचना नहीं दी गई जैसाकि यू ए एस एल करार में निर्धारित है।

[17] यू ए एस एल करार के खंड 10.2 (II) बताता है कि लाइसेंस प्रदाता लाइसेंस करार के निबंधनों व शर्तों के उल्लंघन में वित्तीय शास्ति भी लगा सकता है जो कि ₹50 करोड़ से अधिक नहीं होगी। यह शास्ति लाइसेंस करार में बनायी गई परिनिर्धारित नुकसान के अलावा है।

[18] यू सौफ करार का खंड 2.3 बताता है कि किसी भी कारण से सेवाओं में लम्बे समय तक व्यवधान रहने के कारण यथानुपात आधार पर यू एस पी द्वारा शास्ति का भुगतान किया जायेगा, इसका उल्लेख खंड 2.3 के परिशिष्ट 10 में किया गया है। यू सौफ करार का खंड 2.4 बताता हैकि यदि एक तिमाही में 7 दिनों से अधिक सेवाओं में व्यवधान रहता हैं तो ₹500 प्रतिदिन शास्ति का भुगतान किया जाएगा।